मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

मंगलवार, दिनांक 23 फरवरी, 2010 (फाल्गुन 4, 1931)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.32 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. निधन का उल्लेख

अध्यक्ष महोदय द्वारा राजस्थान के राज्यपाल श्री एस.के.सिंह, पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्य मंत्री श्री ज्योति बसु, पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री बी. शंकरानंद, पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री जनेश्वर मिश्र, पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री रामनिवास मिर्धा, भूतपूर्व सदस्यगण, विधान सभा सर्वश्री सोबरन सिंह मावई, श्री हरिभाऊ जोशी, डॉ. सुधन्वा सिंह नेताम, सर्वश्री गोविन्द परमार, श्री उत्तम सिंह सोनकिया, श्री अर्जुन सिंह धारू तथा श्री चौधरी मणीशंकर सुमन, के निधन पर शोकोद्गार व्यक्त किये गये।

नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री श्री बाबूलाल गौर,, नेता प्रतिपक्ष श्रीमती जमुना देवी, सदस्यगण सर्वश्री लक्ष्मण तिवारी, मदन कुशवाह, पारस दादा तथा श्रीमती मीरा यादव ने भी शोकोद्गार व्यक्त किये। सदन द्वारा दो मिनिट मौन खड़े रहकर दिवंगतों के प्रति श्रद्धांजलि दी गई एवं शोक संतप्तजन के प्रति संवेदना प्रकट की गई।

पूर्वाह्न 10.50 बजे दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित होकर 10.57 बजे पुनः समवेत हुई।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 8 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 54 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 84 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. अध्यक्षीय व्यवस्था

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य द्वारा मध्यप्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कुछ अधिकारियों द्वारा भ्रष्टाचार संबंधी विषय में दी गई स्थगन प्रस्ताव की सूचना को स्वीकार कर चर्चा की मांग की गई । अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि परम्परा अनुसार बजट सत्र में विभागवार चर्चा के समय ऐसे गंभीर विषय उठाये जाते हैं । अतः सामान्य प्रशासन विभाग की मांगों पर चर्चा के दौरान इस पर चर्चा करना सामयिक होगा। श्रीमती जमुनादेवी, नेता प्रतिपक्ष एवं चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, सदस्य द्वारा अपनी मांग के समर्थन में लोक सभा एवं विधान सभा में पूर्व में बजट सत्र के दौरान स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के उदाहरण देकर वर्तमान प्रस्तुत स्थगन प्रस्ताव को स्वीकृत कर चर्चा कराने का पुनः अनुरोध किया गया। नगरीय प्रशासन मंत्री श्री बाबूलाल गौर द्वारा बजट सत्र में कम से कम स्थगन प्रस्ताव देने एवं विभागवार चर्चा में माननीय सदस्यों द्वारा विषय वस्तु को रखने संबंधी विचार प्रस्तुत किया गया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि ध्यानाकर्षित कराये गये पूर्व उद्धरणों एवं विषय की गंभीरता का अध्ययन करके वे अपने निष्कर्ष एवं निर्णय से सदन को अवगत करायेंगे।

(2) श्री रामनिवास रावत, सदस्य द्वारा नियम 267-क के अधीन नवम्बर, 2009 सत्र की कुछ सूचनाओं के उत्तर अभी तक प्राप्त न होने के संबंध में आसंदी का ध्यान आकर्षित किया गया। अध्यक्ष महोदय द्वारा व्यवस्था दी गई कि सदन में प्रस्तुत ऐसी सूचनाएं, जिनके उत्तर अप्राप्त है, के संबंध में माननीय सदस्य लिखकर दें, उन्हें जानकारी उपलब्ध करा दी जायेगी।

4. नियम 267- के के अधीन विषय

(1) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य ने नागदा के खाचरौद में विद्युत वितरण में खपत के आधार पर राशि वसूली जाने,

(2) श्री अजय सिंह, सदस्य ने झाबुआ के ग्रामों में चिकित्सा सुविधा के अभाव में बच्चों की मृत्यु होने,

(3) श्री पारस दादा, सदस्य ने रतलाम में थानों की जन संख्या के आधार पर कमी होने,

(4) श्री आरिफ अकील, सदस्य ने भोपाल के वार्ड क्रमांक 7 स्थित खेल मैदान की दयनीय स्थिति होने तथा

(5) श्री मोहन शर्मा, सदस्य ने नरसिंहगढ़ के कुरावर से इकलेरा तलेन मार्ग के जर्जर होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत कीं।

5. अध्यादेशों का पटल पर रखा जाना

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार -

(1) मध्यप्रदेश जन शिक्षा (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (क्रमांक 1 सन् 2010) ; तथा

(2) राजा मानसिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (क्रमांक 2 सन् 2010)

पटल पर रखे।

6. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार -

(क) वित्त लेखे वर्ष 2008-2009 तथा (ख) विनियोग लेखे वर्ष 2008-2009 पटल पर रखे।

7. नवम्बर, 2009 सत्र निर्धारित अवधि से पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों का पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने नवम्बर, 2009 सत्र निर्धारित अवधि से पूर्व स्थगित हो जाने के फलस्वरूप शेष दिनांकों के प्रश्नोत्तरों का संकलन तथा इसी सत्र के अपूर्ण उत्तरों के पूर्ण उत्तरों को पटल पर रखे जाने की घोषणा की।

8. नियम 267-क के अधीन नवम्बर, 2009 सत्र में पढ़ी गई सूचनाओं तथा उनके उत्तरों का संकलन पटल पर रखा जाना

अध्यक्ष महोदय ने नियम 267-क के अधीन नवम्बर, 2009 सत्र में पढ़ी गई सूचनाएं तथा उन पर शासन से प्राप्त उत्तरों का संकलन पटल पर रखे जाने की घोषणा की।

9. संपत्ति का विवरण पटल पर रखा जाना

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने अपनी सम्पत्ति का विवरण पटल पर रखा।

10. राष्ट्रपति/राज्यपाल की अनुमति प्राप्त विधेयकों की सूचना

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि विधान सभा के विगत सत्रों में पारित 1 विधेयक को महामहिम राष्ट्रपति महोदय तथा 11 विधेयकों को महामहिम राज्यपाल महोदय की अनुमति प्राप्त हो गई है। अनुमति प्राप्त विधेयकों के नाम दर्शाने वाले विवरण की प्रतियां माननीय सदस्यों को वितरित कर दी गई हैं। अतः निम्नलिखित विधेयकों के नाम कार्यवाही में मुद्रित किये जायेंगे :-

महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक

(1) मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 25 सन् 2009)-(अधिनियम क्रमांक 22 सन् 2009)

महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा अनुमति प्राप्त विधेयक

(1) मध्यप्रदेश विनियोग (क्रमांक-4) विधेयक, 2009 (क्रमांक 23 सन् 2009)-(अधिनियम क्रमांक 17 सन् 2009)

(2) मध्यप्रदेश कराधान (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 21 सन् 2009)-(अधिनियम क्रमांक 18 सन् 2009)

(3) मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 20 सन् 2009)-(अधिनियम क्रमांक 19 सन् 2009)

(4) मध्यप्रदेश ग्राम न्यायालय (निरसन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 24 सन् 2009)-(अधिनियम क्रमांक 20 सन् 2009)

(5) मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 22 सन् 2009)-(अधिनियम क्रमांक 21 सन् 2009)

(6) मध्यप्रदेश वन उपज के करारों का पुनरीक्षण (निरसन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 27 सन् 2009)-(अधिनियम क्रमांक 23 सन् 2009)

(7) राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 28 सन् 2009)-(अधिनियम क्रमांक 1 सन् 2010)

(8) मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 30 सन् 2009)-(अधिनियम क्रमांक 2 सन् 2010)

(9) मध्यप्रदेश सिंचाई प्रबंधन (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 18 सन् 2009)-(अधिनियम क्रमांक 3 सन् 2010)

(10) रजिस्ट्रीकरण (मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 12 सन् 2009)-(अधिनियम क्रमांक 4 सन् 2010)

(11) मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (संशोधन) विधेयक, 2009 (क्रमांक 29 सन् 2009)-(अधिनियम क्रमांक 5 सन् 2010)

11. ध्यानाकर्षण

(1) श्री अजय सिंह "राहुल भैया", सदस्य ने प्रदेश में भूजलविदों की कमी से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जयंत मलैया, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

(2) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य ने प्रदेश में सहकारी बैंकों एवं सेवा सहकारी संस्थाओं से कृषकों द्वारा लिये गये ऋणों पर अधिक ब्याज की वसूली किये जाने की ओर सहकारिता मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री गौरीशंकर बिसेन सहकारिता मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

12. सभापति तालिका की घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम-9 के उप नियम (1) के अधीन,निम्नलिखित सदस्यों को सभापति तालिका के लिए नाम-निर्दिष्ट किया गया है:-

(1) श्री ज्ञान सिंह

(2) श्री केदारनाथ शुक्ला

(3) श्रीमती नीता पटैरिया

(4) डॉ. गोविन्द सिंह

(5) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी

(6) श्री रामलखन सिंह

13. कार्यमंत्रणा समिति का प्रतिवेदन

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्यमंत्रणा समिति की बैठक दिनांक 22 फरवरी, 2010 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित कार्यों पर चर्चा हेतु उनके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है -

क्र.	नाम	निर्धारित समय
(1)	वर्ष 2009-2010 के द्वितीय अनुपूरक अनुमान की मांगों पर मतदान, तत्संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, विचार एवं पारण।	2 घण्टे
(2)	मध्यप्रदेश राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 1997-98, 1998-99, 1999-2000, 2000-2001 तथा 2001-2002 की अनुशंसाओं के पालन प्रतिवेदनों पर चर्चा।	2 घण्टे

समिति द्वारा की गई सिफारिश के अनुसार राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर दिनांक 23 एवं 24 फरवरी, 2010 को चर्चा की जाए तथा दिनांक 25 फरवरी, 2010 को वर्ष 2010-2011 के आय-व्ययक का उपस्थापन प्रात: 10.30 बजे किया जाय। इस दिन प्रश्नकाल नहीं होगा। आय-व्ययक पर सामान्य चर्चा दिनांक 26 फरवरी तथा 8 मार्च, 2010 को की जाय।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, विधि और विधायी कार्य एवं संसदीय कार्य मंत्री प्रस्ताव किया कि उपाध्यक्ष महोदय ने जिन कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशें पढ़कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

14. महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर चर्चा

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य द्वारा दिनांक 22 फरवरी, 2010 को प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन के निम्नलिखित प्रस्ताव पर श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य ने चर्चा में भाग लिया :-

"राज्यपाल ने जो अभिभाषण दिया उसके लिए मध्यप्रदेश की विधान सभा के इस सत्र में समवेत सदस्यगण अत्यंत कृतज्ञ हैं"

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव पर उनके पास 16 माननीय सदस्यों के संशोधनों की सूचना प्राप्त हुई हैं उनमें से जो संशोधन नियमानुसार नहीं थे, उन्हें अग्राह्य कर दिया है। तद्नुसार, सदन में उपस्थित निम्नलिखित माननीय सदस्यों के संशोधन प्रस्तुत हुए माने गए :-

क्र.	सदस्य का नाम	संशोधन क्रमांक
(1)	चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी	1
(2)	श्री सुरेश चौधरी	2
(3)	श्री मानवेन्द्र सिंह	3
(4)	श्री बिसाहूलाल सिंह	4
(5)	श्री रामनिवास रावत	8
(6)	श्री पारस दादा	9
(7)	डॉ. कल्पना परुलेकर	10
(8)	श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा	12
(9)	डॉ. गोविन्द सिंह	14
(10)	श्री आरिफ अकील	15
(11)	श्री नारायण प्रजापति	16

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री शंकरलाल तिवारी, सदस्य द्वारा प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव एवं संशोधनों पर एक साथ प्रारम्भ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(2) डॉ. कल्पना परुलेकर (भाषण अपूर्ण)

(अपराह्न 1.01 बजे से 2.36 बजे तक अन्तराल)

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हरवंश सिंह) पीठासीन हुए।

डॉ. कल्पना परुलेकर, सदस्य ने अपना भाषण पूर्ण किया।

(3) श्री केदारनाथ शुक्ला
(4) श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा
(5) श्री परसराम मुदगल
(6) श्री लक्ष्मण तिवारी
(7) श्री पारस दादा
(8) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(9) श्री रामनिवास रावत
(10) श्री मदन कुशवाह
(11) श्री सुदर्शन गुप्ता
(12) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर
(13) श्रीमती नीता पटेरिया
(14) श्री मनीराम धाकड़
(15) श्री राधेश्याम पाटीदार
(16) श्री हेमराज कल्पोनी
(17) श्री रामलखन सिंह

अपराह्न 5.00 बजे विधानसभा की कार्यवाही बुधवार, दिनांक 24 फरवरी, 2010 (फाल्गुन 5, 1931) 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई।

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

भोपाल :
दिनांक : 23 फरवरी, 2010